संख्या-16/2022/2061431/12-5099/1136/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 21 मार्च, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/श0एवं0वा0/पं0दी0द0उ0यो0कि0स0यो0/237/2021-22, दिनांक 08 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के संचालन हेतु विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में निम्न विवरणानुसार धनराशि रू.4000.00 लाख (रू. चालीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2021-22 में प्राविधान	पूर्व स्वीकृत धनराशि (प्रथम किस्त के रूप में)	द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	04-यात्रा भत्ता	20.00	10.00	8.00
2	08-कार्यालय व्यय	25.00	12.50	10.00
3	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	20.00	10.00	8.00
4	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पट्रोल आदि की खरीद	35.00	17.50	16.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	27-सब्सिडी	931.00	0.00	0.00
6	42-अन्य व्यय	10349.00	3500.00	3950.00
7	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50.00	25.00	0.00
8	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी पर क्रय	20.00	10.00	8.00
	योग	**11450.00**	**3585.00**	**4000.00**

(रू0 चालीस करोड़ मात्र)

2- धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शित हो।

3- धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व कृत कार्यों का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

4- योजनान्तर्गत प्रस्तावित धनराशि का व्यय योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

5- धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नहीं की जायेगी, बल्कि कोषागार से लाभार्थियों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अंतरित की जायेगी।

6- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों/कार्यों की पुनरावृत्ति/द्विरावृति किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी।

7- योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय स्वीकृति के समय योजना के उद्देश्य, भौतिक प्रगति आदि का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

9- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह आपका उत्तरदायित्व होगा।

10- वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व आपके स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

11- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

13- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

15- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के मानक मद 04-यात्राव्यय, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 27-सब्सिडी, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय के नामें डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अशासकीय संख्या-ई-1-3662-दस-2021-22, दिनांक 14-03-2022 में दी गयी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक,(सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in